



# कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक-2935/12-1, दिनांक: मसूरी, 05-3-2019।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्रधारा (कालीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-11.425 किमी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 9.194 हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/13657/2015)

सन्दर्भ :-

आपका ई0डी0एस0 पत्रांक 102 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख-दे0दून / वन भूमि दिनांक 31-01-2019 एवं 180 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख-दे0दून / वन भूमि दिनांक 18-02-2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि के आनलाईन प्रस्ताव में नोडल कार्यालय, देहरादून द्वारा अपने ई0डी0एस0 पत्र में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएँ / संगत अभिलेखों को आनलाईन भाग-1 में यथास्थान अपलोड करते हुए संगत दस्तावेजों की हार्ड / स्कैन प्रति उपलब्ध करायी जानी है। आपके स्तर से मात्र बिन्दु सं0 2, 3, 4 एवं 5 की हार्ड स्कैन प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त प्रकरण में नोडल कार्यालय द्वारा इंगित आनलाईन आपत्ति सं0 7 “The details of trees proposed to be felled provided in hard copy, it is seen that counting of trees dose in 7m width in few compartments. As the width of the road proposed for diversion is 9m therefore the revised tree enumeration taking 9m width may provide and correct the same in online Part II.” में उल्लेख है। प्रस्ताव के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित है जबकि आरक्षित वन भूमि में मात्र 7.00 चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गयी है।

अतः मार्ग के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि में प्रस्तावित संरेखण के 9.00 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना हेतु दिनांक 11-3-2019 प्रातः 10.00 बजे प्रातः की तिथि निर्धारित की जाती है। कृपया प्रस्तावित मार्ग के संरेखण को मौके पर क्षेत्रीय वनाधिकारियों / कर्मचारियों को चिन्हित कराने का कष्ट करें, ताकि 9.00मी0 चौड़ाई में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची तैयार की जा सके, व आनलाईन आपत्ति सं0 7 कर निराकरण करते हुए प्रस्ताव आनलाईन अग्रतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न - उक्तानुसार।

भवदीया  
(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2935 / दिनांकित।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग को उक्त विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस निर्देश के कृपया प्रस्तावित मार्ग के संरेखण अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में 9.00मी0 चौड़ाई में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची तैयार कर तीन प्रतियों में दिनांक 6-3-2019 तक इस कार्यालय में अग्रतर कार्यवाही हेतु अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

**shortcomings still observed in the online reply.**

1. Convert CA details in-( L) g, [user agency - to other].
2. Please upload ownership proof , Mou and non encumbrance certificate and at section L (iv)-f,g,h in form A, Part I.
3. Cost benefit analysis (C/B) uploaded in Part I is not as per prescribed format VI (b) and VI(c) in the guideline. The State Govt may provide C/B analysis as per prescribed format should be quantified in monetary terms.
4. The village wise break up shows that the road passed from the area of four villages but in the village level committee proceedings of FRA certificate only one gram panchayat is mentioned. The State Govt may comment on the same and if required provide VLC proceedings for other gram sabhas also.
5. Component wise break up in online Part I does not indicate the area details marked for other components like muck disposal etc.
6. The CA stipulation against total forest area diverted in the district is not commensurate. The State Govt may do necessary correction or justify the differences with factual reasons.
7. The details of trees proposed to be felled provided in hard copy, it is seen that the counting of trees done in 7m width in few compartments. As the width of the road proposed for diversion is 9m therefore the revised tree enumeration taking 9m width may provide and correct the same in online Part II.
8. In the muck disposal plan it is not clear that the area marked for muck disposal in the area other than the private land is included in the forest land proposed for diversion. The revised land schedule may be provided clarifying the same.
9. The NPV calculated at the rate prescribed for very dense forest while 77 trees per hectare does not account for very dense forest category. The State Govt is also categorised the forest in Eco class III which seems inappropriate as per species of the area concern. The State Govt may review the Eco class and NPV rate and provide/upload the revised information to this office.

....Nodal office, Dehradun....